भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

परिपत्र

विषय : सी.एस.एम.ए. के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.) की नियुक्ति - संशोधित दिशानिर्देश

कार्यालय आदेश संख्या BIS/DGO (445)/2016 दिनांक 13 जून 2016 तथा परिपत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2016 द्वारा सी॰एस॰एम॰ए॰ के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए॰एम॰ए॰) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। उपरलिखित कार्यालय आदेश दिनांक 13 जून 2016 के उल्लिखित पैरा 4 में निर्णयानुसार, "ए॰एम॰ए॰ को सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ की सूची में से, जहां सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ मौजूद है **अथवा** किसी भी निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर॰एम॰पी॰) को, जहां सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ कार्यरत न हो, नियुक्त किया जा सकता है।" इन दिशानिर्देशों के बावजूद, कुछ शहरों/क्षेत्रों में सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ मौजूद होने के बावजूद भी ए॰एम॰ए॰ नियुक्त नहीं किए जा सके, क्योंकि सी॰जी॰ई॰डबल्यू॰सी॰सी॰ उन क्षेत्रों में ए॰एम॰ए॰ नियुक्त नहीं करता, जहां सी॰जी॰एच॰एस॰ मौजूद है।

2. अत:, सी॰जी॰एच॰एस॰ क्षेत्रों में ए॰एम॰ए॰ की नियुक्ति में हो रही कठिनाई से निपटने हेतु, उपरलिखित कार्यालय आदेश दिनांक 13 जून 2016 के पैरा 4 को निम्न प्रकार **"संशोधित"** किया जाता है :

> **"बीआईएस कर्मचारी; पेंशनर; तथा परिवार पेंशनर, जो सी.एस.एम.ए. नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं, वे अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर.एम.पी.) को एएमए के रूप में नियुक्त करवाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ए.एम.ए. <u>या</u> तो सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. द्वारा बनाए गए पैनल में से होगा, जहां ऐसे ए.एम.ए. नियुक्त किए गए हैं <u>अथवा</u> कोई भी निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी), जिन क्षेत्रों, उन क्षेत्रों समेत जहां सी.जी.एच.एस. मौजूद है, में सी.जी.ई.डबल्यू.सी.सी. ने ए.एम.ए. नियुक्त नहीं किए हैं।"**

3. ये संशोधित दिशानिर्देश परिपत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2016 के लिए भी लागू होंगे जो कि महिलाओं तथा बच्चों की बीमारियों के संबंध में दूसरे एएमए नियुक्त कराने के विकल्प हेतु जारी किया गया था।

4. संबन्धित प्राधिकारी, ए॰एम॰ए॰ से चिकित्सा परिचर्या के संबंध में कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए चिकित्सा मांग की **"अतिसतर्क जांच"** सुनिश्चित करेंगे ताकि योजना का दुरुपयोग न हो।

5. यह भा॰मा॰ ब्यूरो, महानिदेशक के अनुमोदन से जारी है।

हस्ता/-

(एन. रवि शंकर)

निदेशक (स्थापना)

हमारा संदर्भ : स्था-I/29:2/2/2015 दिनांक : 28 दिसंबर 2016

परिचालित : भारतीय मानक ब्यूरो की वैबसाइट व बी॰आई॰एस॰ इंट्रानेट के जरिये सभी संबन्धित बीआईएस अधिकारी/कर्मचारियों/पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की सूचना हेतु

नोट : इस परिपत्र में जहां भी हिन्दी भाषा के माध्यम से किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होगा वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का परिपत्र मान्य होगा।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Establishment Department)

CIRCULAR

Subject: **Appointment of Authorized Medical Attendants (AMAs) under CSMA Rules –** modified guidelines

Guidelines for appointing Authorized Medical Attendants **(**AMAs) under CSMA Rules were issued vide Office Order No. BIS/DGO (445)/2016 dated 13 June 2016 and Circular dated 10.10.2016. As per the decision mentioned at para 4 of the said Office Order dated 13.6.2016, "AMAs can be appointed from among the list of CGEWCC, wherever it exists OR any private RMPs wherever CGEWCC is not existing. Despite the issue of these guidelines, AMAs could not be appointed in certain cities/areas even where CGEWCC exists, because the CGEWCC doesn't appoint AMAs where CGHS is existing.

2. Therefore, in order to overcome the difficulty in appointing the AMAs in the areas where CGHS is existing, the para 4 of the above-said Office Order dated 13 June 2016 stands "**MODIFIED**", as under:

> **"BIS employees; Pensioners; and Family Pensioners, who are entitled to availing medical facilities under CSMA Rules, may avail the facility of appointing one private RMP of their choice as AMA for availing medical attendance for themselves and their family members. The AMA shall be EITHER from the panel made by CGEWCC, wherever such AMAs have been appointed OR any private RMP, in the areas wherever the CGEWCC has not appointed AMAs including the areas where CGHS is existing".**

3. These modified guidelines shall apply to the Circular dated 10.10.2016 also which was issued in respect of the option for appointing second AMA in respect of diseases pertaining to women and children.

4. The concerned authorities shall ensure "**scrupulous scrutiny**" of the medical claims of the employees submitted in connection with medical attendance taken from the AMAs, to avoid any misuse of the scheme.

5. This issues with the approval of DG-BIS.

sd/-
(N. Ravi Shankar)
Director (Establishment)

Our Ref:Estt. I/29:2/2/2015 Dated: 28 December 2016

Circulated: For information of all the concerned BIS Officers / Employees / Pensioners/Family Pensioners through BIS Intranet and BIS Website

----

Ssn\csma certificate\appointment of amas